

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अम्बेडकरनगर (उ० प्र०)

विज्ञापित।

उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या 05/2020/281/सात-न्याय-2-2020-153जी/2019 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी 2020 द्वारा कुल 2 परामर्शदाताओं को आबद्ध किया गया था तथा वर्तमान में कुल दो परामर्शदाता कार्यरत हैं जिनका कार्यकाल दिनांक 03.03.2026 एवं 08.05.2026 को समाप्त हो चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1928/एस०एफ०सी०एम० सेल/लखनऊ दिनांकित 28.02.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय अम्बेडकरनगर में दिनांकित 31.05.2026 को रिक्त होने जा रहे कुल दो पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-02-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

ऊ

1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की उपाधि धरित करता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो जो आवेदक सामाजिक कार्य में परास्नातक की उपाधि धारित करता है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का प्रारम्भिक कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
4. आवेदक ने यदि पूर्व में परामर्शदाता के पद पर कार्य किया है तो वह अपने आवेदन पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करेगा कि उनके द्वारा कितने वर्ष तक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया है।
5. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
6. नियुक्त परामर्शदाता के शासनादेश के अनुसार नियत रु 1000/- प्रति कार्य दिवस अथवा रु 24000/- प्रतिमाह जो भी कम हो का मानदेय देय होगा।
7. इस कार्यालय को आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं 102/सात-न्याय-02-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 10758/2022/एस०एफ०सी०एम० सेल/इलाहाबाद, दिनांकित 29.08.2022 के अनुपालन में इस बात का घोषणा प्रस्तुत किया जाये कि वो परिवार न्यायालय में किसी भी वाद में वादकारी नहीं है।
9. आवेदक अपना आवेदन पत्र मय संलग्नक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

सुविधा एवं एकरूपता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञापित के साथ संलग्न किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो वे अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति व एक सेट छायाप्रति सहित दिनांक 30.07.2026 तक कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये जा सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकता है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(राजेश भारद्वाज)

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय अम्बेडकरनगर।

जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में परिवार न्यायालय हेतु परामर्शदाता पद के लिए
आवेदन पत्र

1. पद का नाम |
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम हिन्दी में.....
अंग्रेजी में.....
3. पिता/पति का नाम हिन्दी में.....
अंग्रेजी में.....
4. स्थाई पता
5. जन्म तिथि
6. दिनांक 13.07.2026 को अभ्यर्थी की आयु वर्ष.....माह..... दिन (जन्म तिथि के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति)
7. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित प्रति।

शैक्षिक योग्यता का विवरण—

क्र०सं०	परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/कालेज का नाम	वर्ष	टिप्पणी

8. क्या अभ्यर्थी के उपर कोई अपराधिक वाद लम्बित है। यदि हां तो विवरण प्रस्तुत करें।

9. अनुभव यदि कोई हो तो..... नोट अति आवश्यक

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा कराता/करती हू कि उपर्युक्त विवरण/सूचनाएं सत्य है और मेरे द्वारा कोई विवरण /सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया गया तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरा अभ्यर्थन स्वयं समाप्त कर दिया जाये।

संलग्नक की सं०

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर